महत्त्वपूर्ण शर्तें तथा प्रतिबंध

पूरी पाठ्य सामग्री देखने के लिए कृपया www.hsbc.co.in पर विज़िट करें.

1. फीस तथा चार्जेज़

अ) शामिल होने की फीस तथा वार्षिक सदस्यता फीस

शामिल होने की फीस तथा वार्षिक सदस्यता फीस प्राइमरी एवं एड–ऑन क्रेडिट कार्ड/कार्ड्स पर लागू हैं. इन फीसों में इस आधार पर भिन्नता हो सकती है कि कार्डधारक द्वारा किस ऑफ़र के अंतर्गत एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड को प्राप्त किया गया है. ये फीस, जिनमें यथा लागू एड–ऑन कार्डधारक/को हेतु फीस भी शामिल हैं, कार्डधारक के क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर उसे जारी किए जाने/नवीकरण पर चार्ज किए जाते हैं तथा उसे उस महीने की मासिक क्रेडिट कार्ड विवरणी पर दर्शाया जाएगा जिस महीने यह लिया गया है. अगर क्रेडिट कार्ड को निरस्त किया जाता है तो कोई फीस लौटायी नहीं जाएगी. मौजूदा चार्जेज़ का उल्लेख नीचे दी गई टैरिफ शीट में किया गया है.

ब) कैश एडवान्स फीस

कार्डधारक भारत तथा विदेशों में एचएसबीसी/वीज़ा/मास्टरकार्ड/सीइरस एटीएम के जरिए दिन–रात कभी भी नकद धनराशि तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं. कैश एडवान्स की प्राप्ति के ऐसे समस्त ट्रांजेक्शन्स पर ट्रांजेक्शन की राशि का 2.5% ट्रांजेक्शन फीस लगाया जाएगा (रु. 300 न्यूनतम के विषयाधीन), जो कि कार्डधारक के अगले महीने की विवरणी में शामिल किया जाएगा. ट्रांजेक्शन फीस को एचएसबीसी के पूर्ण विवेकानुसार बदला जा सकता है. कैश एडवान्स ट्रांजेक्शन्स भी धनराशि निकाले जाने की तिथि से दैनिक बकाया बैलेन्स पर मौज़ूदा दर से गणना किए जानेवाले फायनान्स चार्ज के विषयाधीन है. फायनान्स चार्ज को बिलिंग साइकिल के अंतिम दिन क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट को डेबिट किया जाएगा.

HSBC
The world's local bank

स) कतिपय ट्रांजेक्शन्स हेतु लिए जानेवाले सर्विस चार्जेज़

- कार्डधारकों को दी गई विशिष्ट सेवाओं या कार्डधारक द्वारा अपने कार्ड अकाउन्ट के संदर्भ में की गई चूकों के लिए कार्डधारकों को समय–समय पर लागू फीस तथा चार्जेज़ का भुगतान करना होगा.
- टैरिफ संरचना को समय–समय पर एचएसबीसी के पूर्ण विवेकानुसार बदला जा सकता है. फायनान्स चार्ज (ब्याज दरों) तथा रेग्यूलेटरी अपेक्षाओं के विषयाधीन परिवर्तनों से भिन्न, परिवर्तनों को कम से कम एक महीने का नोटिस देकर भावी प्रभाव से लागू किया जाएगा.
- स्थानीय कर संबंधी कानूनों के अनुसार 11 मई 2007 से सभी फीस, ब्याज तथा अन्य चार्जेज़ पर 12.36% का सर्विस टैक्स लगाया जा रहा है
- अगर भुगतान की नियत तिथि तक देय न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बिलम्ब भुगतान चार्ज लागू होगा.
- कुल बकाया राशि के निर्धारित क्रेडिट सीमा को पार करने पर ओवरलिमिट चार्जेज़ लागू होगा.

टैरिफ शीट

शामिल होने की स्टैण्डर्ड फीस क्लासिक	 शून्य शून्य
स्टैण्डर्ड वार्षिक फीस गोल्ड क्लासिक	 रु. 2,000 रु. 700
एड–ऑन कार्ड के लिए स्टैण्डर्ड वार्षिक फीस गोल्ड क्लासिक	 रु. 1,000 रु. 350
मुफ़्त क्रेडिट अवधि	52 दिनों तक
एक्सटेंडेड क्रेडिट तथा कैश एडवान्सेज़ पर फायनान्स चार्जेज़	गोल्ड 3.1% # प्रति माह (37.2% # प्रति वर्ष) ट्रांजेक्शन की तिथि से गणना क्लासिक 3.2 % # प्रति माह (38.4% # प्रति वर्ष) ट्रांजेक्शन की तिथि से गणना
एक्सटेंडेड क्रेडिट इस्तेमाल पर न्यूनतम अदायगी	बिलिंग की तिथि को अंतिम बैलेन्स का 5% (रु 100 न्यूनतम के विषयाधीन). **भुगतान की देय तिथि के बाद अदा न किए गये बैलेन्स पर ब्याज लगाया जाएगा.**
डुप्लिकेट विवरणी (3 माह से ज्यादा पुरानी)	रु 100 प्रति विवरणी

चेक के बाउन्स होने, स्टैण्डिंग निर्देश का पालन न होने या ईसीएस के जरिए भुगतान में असफलता पर	रु. 300
कैश एडवान्स सीमा (क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर)	क्रेडिट सीमा का 40% #
शाखाओं पर आपके क्रेडिट अकाउन्ट तथा एटीएम पर कैश एडवान्सेज़ हेतु ट्रांजेक्शन फीस	ट्रांजेक्शन की राशि का 2.5% **(न्यूनतम राशि रु. 300 के विषयाधीन)***
विदेशों में एटीएम पर अपने बैंक अकाउन्ट से कैश निकालने हेतु ट्रांजेक्शन फीस	रु. 100
भारत में गैर–एचएसबीसी एटीएम पर अपने बैंक अकाउन्ट से कैश निकालने हेतु	रु. 55
ओवरलिमिट फीस	रु. 500 प्रति माह
विलम्ब भुगतान फीस (अगर भुगतान की नियत तिथि तक न्यूनतम देय रकम का भुगतान एचएसबीसी तक नहीं पहुंचता है तो चार्ज किया जाता है)	न्यूनतम देय राशि का 30% (प्रति माह न्यूनतम रु. 450 तथा रु. 600 अधिकतम के विषयाधीन)
सेल्स स्लिप रिट्राइवल/चार्ज बैंक प्रोसेसिंग फीस	रु. 225
आउट ऑफ टाउन चेक प्रोसेसिंग/कलेक्शन चार्ज	चेक के मूल्य का 0.4 (न्यूनतम रु. 30 के विषयाधीन) + @ रु. 25 प्रति डाक खर्च चेक
क्रेडिट कार्ड बदलने की फीस (भारत में)	रु. 100
क्रेडिट कार्ड बदलने की फीस (भारत के बाहर)	रु. 100
विदेशी मुद्रा ट्रांजेक्शन्स हेतु करेन्सी कनवर्ज़न चार्ज	3.5 %
अन्य बैंक के एटीएम पर क्रेडिट कार्ड की बैलेन्स इन्क्वायरी	—

या बैंक द्वारा समय–समय पर तय किए गये अनुसार

* मौजूदा दर पर प्रति माह फायनान्स चार्ज भी लागू होगा. जैसे कि : आप 01 मार्च को रु.1200 में एक घड़ी और 10 मार्च को रु. 00 में एक नेकलेस खरीदते हैं. आपके स्टेटमेन्ट की तारीख 20 मार्च है और इस स्टेटमेन्ट पर भुगतान किए जाने की तारीख 07 अप्रैल है. आप 07 अप्रैल

को न्यूनतम देय राशि रु.100 का भुगतान करना चुनते हैं. बाद में 20 अप्रैल को आप खरीदारी की रकम (रु. 1900) के बकाया का 95% भुगतान करना चुनते हैं. आपकी खरीदारियों पर निम्नलिखित ब्याज लिया जाएगा: रु.1200 पर 2. 95% प्रति माह 37 दिनों के लिए अर्थात 01 मार्च से 6 अप्रैल तक. यह रकम रु. 43.06 होगी. रु. 800 पर 2.95% प्रति माह 28 दिनों के लिए अर्थात 10 मार्च से 06 अप्रैल तक. यह रकम रु. 21.72 होगी. रु. 1,900 पर 2.95% प्रति माह 13 दिनों के लिए अर्थात 07 अप्रैल से 19 अप्रैल तक. यह रकम रु. 23.96 होगी.
इस प्रकार आपकी खरीदारियों पर कुल ब्याज, जो कि आपके 20 अप्रैल के स्टेटमेन्ट में डेबिट किया जाएगा रु. 88.74 (रु. 43.06 + रु. 21.72 + रु. 23.96) होगा.
20 अप्रैल को बनाए जाने वाले आपके स्टेटमेन्ट में बकाया राशि रु. 1,988.74 दिखायी जाएगी.

द) ब्याज रहित (रियायत) अवधि

कार्डधारक 52 दिनों तक के लिए मुफ़्त क्रेडिट पा सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर कोई फायनान्स चार्ज नहीं लगाया जाता. यह तभी लागू है अगर मासिक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट में दिखाए गये क्रेडिट कार्ड बकाया राशि को भुगतान करने की नियत तिथि तक पूर्णत: चुकाया जाता है. हालांकि, मुफ़्त क्रेडिट अवधि कैश एडवान्स ट्रांजेक्शन्स के लिए लागू नहीं होगी.

य) फायनान्स चार्जेज़

- कार्डधारक कुल मासिक बकाया का कम से कम 5% (मासिक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट में दिखायी गयी न्यूनतम देय राशि) अदा करके ''बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधा'' प्राप्त कर सकते हैं. भुगतान की देय तिथि के बाद देय राशि पर ब्याज लिया जाएगा.
- अगर कार्डधारक स्टेटमेन्ट के क्लोजिंग बैलेन्स से कम रकम का भुगतान करके एक्सटेंडेड क्रेडिट सुविधा प्राप्त करते हैं तो ट्रांजेक्शन की तिथि से पूरी बकाया रकम पर मौजूदा दर से फायनान्स चार्ज लिया जाएगा.
- सभी कैश एडवान्स ट्रांजेक्शन्स पर रकम निकासी की तिथि से पूरी रकम को चार्जेज़ सहित निपटाए जाने तक मौज़ूदा दर से फायनान्स चार्ज लिया जाएगा.
- फायनान्स चार्जेज की गणना ट्रांजेक्शन की तिथि से 3.1%/3.2% प्रति माह (37.2%/38.4% प्रति वर्ष) की दर या समय–समय पर बैंक द्वारा तय की गय संशोधित दरों से की जाती है.

2 क्रेडिट सीमाएं

- एचएसबीसी द्वारा क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर कैश सीमा (क्रेडिट सीमा का 40% या समय–समय पर बैंक द्वारा तय किए गये अनुसार) के साथ

साथ एक क्रेडिट सीमा निर्धारित की जाएगी जिसे एचएसबीसी द्वारा समय–समय पर कार्डधारक को सूचित करके बदला जा सकता है.

- क्रेडिट सीमा वह अधिकतम रकम है जो कि किसी भी समय क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर बकाया हो सकती है.
- अगर कुल बकाया रकम क्रेडिट सीमा को पार कर जाती है तो उस सीमा के ऊपर की जानेवाली समस्त खरीदारियों कैश ट्रांजेक्शन्स को तब तक अस्वीकृत किया जाएगा जब तक क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट को पूर्णत: या अंशत: वित्तपोषित नहीं किया जाता.
- अकाउन्ट पर स्वीकृत क्रेडिट सीमा की साझेदारी प्राइमरी कार्डधारक तथा एड–ऑन कार्डधारकों द्वारा की जाती है.
- क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर उपलब्ध क्रेडिट सीमा निर्धारित क्रेडिट सीमा से 'कुल देय रकम' को घटाने पर आने वाली रकम है. किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा को सुनिश्चित करने के लिए कार्डधारक को चाहिए कि बैंक से जानकारी प्राप्त करे.
- क्रेडिट कार्ड संतोषजनक ढंग से 6 महीने तक प्रचालन के पश्चात कार्डधारक किसी भी समय अपनी निर्धारित क्रेडिट सीमा पर समीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है.
- एचएसबीसी अपने पूर्ण विवेकानुसार, क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट के अपने क्रेडिट आकलन के आधार पर क्रेडिट कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना क्रेडिट सीमा को बढ़ा या घटा सकता है तथा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को इन परिवर्तित क्रेडिट सीमाओं की स्वीकृति माना जाएगा, क्रेडिट सीमा बढ़ाए जाने के मामले में, कार्डधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर एचएसबीसी इसे पुन: मूल क्रेडिट सीमा में परिवर्तित कर देगा.

3 बिलिंग और भुगतान

अ) 1 अप्रैल 2006 से किसी कार्डधारक अकाउन्ट पर किए गये भुगतानों का निपटान देय न्यूनतम भुगतान, बैलेन्स ट्रांस्फर बकाया, फीस तथा चार्जेज़, नकद राशि तथा खरीदारी की बकाया राशि के क्रम में किया जाएगा.

ब) क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर कोई बकाया बैलेन्स होने पर, एचएसबीसी द्वारा एक मासिक मद अनुसार अकाउन्ट का स्टेटमेन्ट कार्डधारक के डाक पते पर भेजा जाएगा, जिसमें पिछले स्टेटमेन्ट के बाद में क्रेडिट हुए भुगतानों तथा डेबिट किए गये ट्रांजेक्शन्स का विवरण होगा. स्टेटमेन्ट न मिलने से कार्डधारक की बाध्यताओं पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा.

स) कार्डधारक, स्टेटमेन्ट में छपे केवल 5% न्यूनतम देय रकम का भुगतान करना चुन सकते हैं तथा यह राशि भुगतान की देय तिथि से पहले भेजी जानी चाहिए. इसका भी उल्लेख स्टेटमेन्ट में किया गया है. अगर

भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो देय तिथि तक फ़ंड्स की कार्ड अकाउन्ट में वसूली अवश्य हो जानी चाहिए. अग्रेणीत बकाया रकम पर 3.1%/3.2% प्रति माह (37.2%/38.4% प्रति वर्ष) या बैंक द्वारा समय–समय पर तय किया गया फायनान्स चार्ज लगाया जाएगा.

द) कार्डधारक अपनी मासिक देय राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक माध्यम चुन सकते हैं.

- चेक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान : चेक/ड्राफ्ट अग्रलिखित को देय होना चाहिए ''एचएसबीसी ए/सी नं. xxxxx (कार्डधारक के 16 अंक के क्रेडिट कार्ड नंबर का उल्लेख करें). चेक/ड्राफ्ट यहां प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
  – भारत में एचएसबीसी शाखाएं/एटीएम पर ड्रॉप–बॉक्स (शाखाओं तथा एटीएम की सम्पूर्ण सूची के लिए www.hsbc.co.in पर विजिट करें)
  – स्काईपैक ड्रॉप–बॉक्स (अपने नज़दीकी स्काईपैक बॉक्स की सूची के लिए www.hsbc.co.in पर विजिट करें).
  – डाक से यहां भिजवाएं : दि हॉन्गकॉन्ग ऐंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्लियरिंग डिपार्टमेन्ट, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई–400 001.
- नकद भुगतान: भारत में किसी भी एचएसबीसी शाखा पर नकद भुगतान किया जा सकता है.
- स्थायी निर्देश : अगर कार्डधारक का एचएसबीसी में अकाउन्ट है तो वह कार्डधारक के एचएसबीसी अकाउन्ट से फंड्स को क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट में ट्रांस्फर करने के लिए स्थायी निर्देश जारी कर सकता है.
- इंटरनेट बैंकिंग : कार्डधारक क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम का भुगतान www.hsbc.co.in पर लॉग ऑन करके कर सकता है.
- ईसीएस: कार्डधारक अपने किसी बैंक अकाउन्ट में डेबिट करने के लिए एचएसबीसी को अधिकृत करके सीधे–सीधे भुगतान कर सकता है. यह सुविधा केवल मुंबई और दिल्ली में उपलब्ध है.
- एटीएम/फोन बैंकिंग : कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम का भुगतान करने के लिए एटीएम/फ़ोन बैंकिंग सुविधा के जरिए अपने एचएसबीसी अकाउन्ट तक पहुंच प्राप्त कर सकता है.

य) बिलिंग संबंधी विवादों को सुलझाना:

- अगर मासिक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट में दर्शाये गये किसी चार्ज से कार्डधारक सहमत न हो तो उसे स्टेटमेन्ट भी तिथि से 30दिनों के अंदर पूरे विवरण के साथ एचएसबीसी को सूचित करना चाहिए. 30 दिन बीत जाने पर यह माना जाएगा कि सभी चार्ज स्वीकार्य हैं तथा सही हैं.
- बिलिंग संबंधी विसंगतियों की रिपोर्ट करने के लिए कार्डधारक कस्टमर सर्विस सेन्टर को कॉल कर सकता है (इनके नंबर मासिक स्टेटमेन्ट के पीछे की तरफ या www.hsbc.co.in in पर देखे जा सकते हैं) या

इस पते पर लिख सकते हैं : राजेश लोबो, एसिस्टेन्ट मैनेजर, कार्ड सर्विसेज, पोस्ट पॉक्स नं. 5080, चेन्नई 600 028. सभी शिकायतें अनिल भोला, वाइस प्रेसिडेन्ट, कार्ड सर्विसेज़, पोस्ट बॉक्स नं. 5080, चेन्नई – 600 028 को सम्बोधित की जानी चाहिए.

4. चूक

- चूक होने पर (भुगतान की नियत तारीख तक कार्डधारक द्वारा न्यूनतम देय रकम का भुगतान न करने या कार्डधारक एग्रीमेन्ट की किसी अन्य धारा का उल्लंघन करने पर कार्डधारक को समय–समय पर) क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट पर किसी बकाया रकम के भुगतान के लिए डाक, फैक्स, टेलीफोन, ई–मेल, ड्ढड मैसेजिंग के द्वारा स्मरण कराया जाएगा तथा/या कलेक्शन के प्रयोजनों हेतु नियुक्त थर्ड पार्टियों के जरिए स्मरण, फॉलो–अप एवं देय राशियों को प्राप्त किया जाएगा. इस प्रकार नियुक्त की गई कोई थर्ड पार्टी कर्ज की वसूली हेतु भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) की आचरण संहिता का पालन करेगी.
- कार्डधारक की मृत्यु की स्थिति में देय राशियों की वसूली :
  –सम्पूर्ण बकाया राशि (बिल न किए गये ट्रांजेक्शन्स समेत) तुरन्त एचएसबीसी को देय तथा भुगतान योग्य हो जाएगी.
  –एचएसबीसी कार्डधारक की सम्पदा से पूरी बकाया रकम की वसूली हेतु पात्र होगा.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) को मासिक आधार पर हमारे क्रेडिट कार्डधारकों के बारे में क्रेडिट जानकारी उपलब्ध कराते हैं. इस जानकारी में पूर्व माह की समाप्ति तक की स्थिति होती है तथा क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट के नियमित या चूक/बकाया युक्त होने जानकारी होती है. अगर कोई क्रेडिट कार्ड अकाउन्ट रिपोर्टिंग की तिथि को चूक युक्त होता है तथा बाद में उसे नियमित किया जाता है तो अकाउन्ट की स्थिति को केवल बाद में ही अर्थात अगली मासिक रिपोर्टिंग के समय पर ही नियमित किया जाएगा. सीआईबीआईएल के अनुसार ग्राहक की स्थिति में सभी परिवर्तनों को ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर अद्यतन कर लिया जाना चाहिए. क्रेडिट कार्डधारकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कार्ड अकाउन्ट पर देय राशियों का भुगतान समय पर करेंगे.

5 निरस्तीकरण

- कार्डधारक किसी भी समय एचएसबीसी को लिखित सूचना देकर या कस्टमर सर्विस से सम्पर्क करके तथा साथ में क्रेडिट कार्ड और किसी एड–ऑन क्रेडिट कार्ड (कार्ड्स) को टुकड़े–टुकड़े करके लौटाकर एवं

पूरी बकाया रकम को लौटाकर एग्रीमेन्ट को समाप्त कर सकता है.

- एचएसबीसी किसी भी समय कारण बताते हुए या बिना बताए, सूचना देकर या दिए बिना क्रेडिट कार्ड को रद्द करके एग्रीमेन्ट को निरन्त कर सकता है.

  –अगर एचएसबीसी की राय में, आपने कार्डधारक एग्रीमेन्ट का उल्लंघन किया हो.

  तथा/या

  –अगर कार्डधारक या फ़ोन/इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल हेतु मनोनीत व्यक्ति द्वारा कार्ड/एड–ऑन क्रेडिट कार्ड/)कार्ड्स) को रद्द करने के बाद में मौखिक/लिखित निर्देश प्राप्त हुए हो,
- किसी भी कारण से एग्रीमेन्ट को समाप्त/निरस्त किए जाने पर कार्ड अकाउन्ट पर बकाया पूरी रकम, जिसमें वो बकाया कार्ड ट्रांजेक्शन्स भी शामिल हैं जो सम्पन्न तो हुए हैं, लेकिन अभी तक अकाउन्ट को चार्ज नहीं किए गये हैं, तुरन्त एचएसबीसी को देय व भुगतान योग्य हो जाएंगे.

6 कार्ड का खोना/चोरी/दुरूपयोग

अ) अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है/चोरी हो जाता है तो क्रेडिट कार्डधारक को तुरन्त इसकी सूचना लिखित रूप में या कस्टमर सर्विस सेन्टर को कॉल करके एचएसबीसी को देनी चाहिए.

ब) क्रेडिट कार्ड के खोने/चोरी होने/दुरूपयोग होने की रिपोर्ट एचएसबीसी को करने के बाद ही कार्डधारक उस क्रेडिट कार्ड पर कोई लेन–देन यानी ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

स) हालांकि कार्ड के खोने या चोरी की रिपोर्ट ऊपर (अ) में उल्लेख किए गये तरीके से की जा सकती है तथा कार्डधारक को चाहिए कि इसकी पुष्टि एचएसबीसी को लिखित रूप में करे. लिखित पुष्टि के साथ पुलिस को की गई शिकायत की स्वीकृति युक्त प्रति संलग्न की जानी चाहिए.

द) अगर कार्डधारक को बाद में अपना कार्ड मिल जाता है, तो भी उसे उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कृपया उसे मैग्नेटिक स्ट्रिप से कई हिस्सों में काट कर नष्ट कर देना चाहिए.

7. प्रकटीकरण

- कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि एचएसबीसी को किसी प्रकृति की समर्थक सेवाएं पाने के लिए थर्ड पार्टी एजेन्सियों को, उसके अकाउन्ट से संबंधित विवरण जिसमें एड–ऑन कार्डधारकों से संबंधित विवरण भी शामिल हैं, देने का अधिकार है, इसके लिए उससे या किसी एड–ऑन कार्डधारकों से विशेष रूप से सहमति या अधिकृति लेने की आवश्यकता नहीं है.

- कार्डधारक पुन: यह स्वीकार करता है कि एचएसबीसी कार्डधारक/एड–ऑन कार्डधारक (कों) से संबंधित जानकारी जिसमें कार्डधारक द्वारा अपनी बाध्यता को निभाने में की गई किसी चूक से संबंधित जानकारी भी शामिल है, की किसी मौजूदा या भावी क्रेडिट ब्यूरो/क्रेडिट रेफरेन्स एजेन्सियों के साथ साझेदारी करने के लिए अधिकृत है, जिसे एचएसबीसी द्वारा समय–समय पर तय किया जाता है. तद्नुसार कार्डधारक ऐसे क्रेडिट ब्यूरो/क्रेडिट रेफरेन्स एजेन्सियों को जानकारी प्रकट करने के लिए एड–ऑन कार्डधारक (कों) से सहमति प्राप्त होने की सहमति देते हैं तथा पुष्टि करते हैं. ऐसी इकाइयां इनसे उपलब्ध प्रोसेस्ड जानकारी या डेटा या प्रोडक्ट्स को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य क्रेडिट प्रदानकर्ताओं को उपलब्ध करा सकते हैं.
- कार्डधारक पुन: अपने एवं एड–ऑन कार्डधारक (कों) से संबंधित जानकारी या डेटा, जो उनके द्वारा या अन्यथा उपलब्ध करायी गयी हो, के कार्डधारक/एड–ऑन कार्डधारक को एचएसबीसी के प्रोडक्ट्स तथा सेवाओं के ऑफर, बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन हेतु इस्तेमाल करने की अधिकृति प्रदान करते हैं.
- एचएसबीसी द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन्स कंपनीज़ (रेग्युलेशन) एक्ट 2005 की शर्तों के अनुसार कार्डधारक के क्रेडिट इतिहास अदायगी रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (भा. रि. बैं. द्वारा विशेष रूप से अधिकृत) को भी दी जा सकती है.

अस्वीकरण: अति महत्त्वपूर्ण नियमों व शर्तों (एमआईटीसी) का यह हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा को समझने वाले व्यक्तियों हेतु है. हालांकि इस दस्तावेज के हिन्दी अनुवाद में पूरी सतर्कता बरती गई है तथापि इसकी सटीकता या सम्पूर्णता के लिए एचएसबीसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. एमआईटीसी का अंग्रेजी में मूल पाठ हमारी वेबसाइट www.hsbc.co.in में उपलब्ध है. हिन्दी प्रारूप में इन अति महत्त्वपूर्ण नियमों व शर्तों के अर्थों में किसी प्रकार का विवाद होने पर अंग्रेजी प्रारूप को मान्य माना जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए,
कृपया हमारे कस्टमर सर्विस सेन्टर से यहां सम्पर्क करें:

• अहमदाबाद : 9898377373 • बंगलोर : 25589696
• चंडीगढ़ : 986927373 • चेन्नई : 2526969
• कोयम्बटूर : 984477373 • गुड़गांव : 9910797373
• हैदराबाद : 23358787 • इन्दौर : 9893277373
• जयपुर : 9928037373 • जोधपुर : 9928037373
• कोची : 9895477373 • कोलकाता : 22438686
• लुधियाना : 9876927373 • लखनऊ : 9935097373
• मुंबई : 66800001 • मैसूर : 9980927373
• नागपुर : 9860107373 • नई दिल्ली : 23739696
• नोयडा : 9910797373 • पटना : 9931337373
• पुणे : 66028686 • रायपुर : 993277323
• त्रिवेन्द्रम : 9895477373 • वड़ोदरा : 9898377373
• विशाखापट्टनम : 9849677373.

Ver 09/08

'डू नॉट कॉल' सेवाएं

समय–समय पर, एचएसबीसी द्वारा विभिन्न विशिष्टताओं/योजनाओं/सेवाओं/प्रोत्साहन पेशकशों के बारे में जानकारी दी जाती है. और इसके लिए थर्ड पार्टी एजेन्सियों की सेवाएं ली जा सकती हैं. जो कार्डधारकों को उल्लेखनीय फायदे दिलाते हैं. अगर आप इन फायदों के बारे में टेलीफोन कॉल्स/SMS द्वारा सूचित कराया जाना नहीं चाहते हैं तो आप 'डू नॉट कॉल' सेवा का लाभ ले सकते हैं. कृपया नीचे दिए गये फॉर्म को भरकर डाक से यहां भिजवा दें: डायरेक्ट रेस्पॉन्स सेल, एचएसबीसी, पो. ओ. बॉक्स 631, मुंबई जीपीओ, मुंबई – 400 001. आपके अनुरोध के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर अमल किया जाएगा.

नाम ____________________

प्रथम मध्य अंतिम

शहर ____________________

कृपया अपना कम से कम एक सम्पर्क नंबर लिखें.

टेलीफ़ोन नं. 0_____ __________

(एसटीडी कोड)

मोबाइल नं. 0__________

द हॉन्गकॉन्ग ऐंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत द्वारा जारी (HSBC)